

आदेश

विषय- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं भार की जाँच करने पर भार वृद्धि करने हेतु।

आदेश क्रमांक JPR5-458 दि. 18.03.08 द्वारा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि करने सम्बन्धी आदेश जारी किये थे, जिसकी समय-सीमा 31.03.08 तक थी।

जनप्रतिनिधियों की माँग एवं किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त आदेश की समय-सीमा 31.05.08 तक बढ़ायी जाती है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ह

(आर.जी. गुप्ता)

अध्यक्ष डिस्कॉम्स
